TR-2538
12/12/17

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनॉक 12/12/2017.
पत्रांक–सम्बद्धता/ 4350/2017.

सूचना

बी0एड0 पाठ्यकम के अतिरिक्त नवीन महाविद्यालय/अतिरिक्त विषय/पाठ्यकम (सत्र 2018–19) की सम्बद्धता प्रस्तावों हेतु समय सारणी :–

सन्दर्भ :– शासनादेश संख्या– 710/सत्तर–2–2014–16(165)/2012 टी0सी0 दिनांक 14 नवम्बर, 2014 शासनादेश के अनुपालन में निम्नलिखित समय सारिणी घोषित की जाती हैं।

क0सं0	कार्यवाही	शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय सीमा (आगामी शिक्षा सत्र) के लिए	अन्तिम तिथि
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि	जो शिक्षण संस्थान अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणवद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/आश्वासन नहीं माना जायेगा।	31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे।
2.	विश्वविद्यालय में जमा किये गये प्रस्तावों के भू–भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	(1) खतौनी का सत्यापन ऑन लाईन (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियॉ लगाई जा रही हैं।	दिनांक 15 फरवरी तक
3.	अनापत्ति आदेश का निर्गत किया जाना		दिनांक 28/29 फरवरी तक

8/12/17

4.	निरीक्षण मंडल का गठन	(1) अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् संस्था द्वारा दिनांक 10 मार्च तक निरीक्षण मंडल के गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेगें, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार–बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग–अलग अधिकारियों को नामित किया जाये, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हों। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करते हुऐ उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	दिनांक 20 मार्च तक
5.	निरीक्षण मण्डल द्वारा आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	(1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चैक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्तकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जायें। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा हैं, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता हैं तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	दिनांक 15 अप्रैल तक
6.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि		दिनांक 30 मई तक
7.	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि		दिनांक 15 जून तक
8.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि		दिनांक 15 जुलाई तक

8.12.17

जिन महाविद्यालयों ने दिनांक 30 जून, 2017 तक अपने अनापत्ति सम्बन्धी प्रपत्र सशुल्क विश्वविद्यालय में जमा किये हैं उनके प्रकरण उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. वित अधिकारी।
2. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।
3. जिला अधिकारी, आगरा अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि अपने जिले के उप जिला अधिकारी को भी इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें तथा उनको सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय की अनापत्ति समिति में नामित करने का आदेश प्रदान करें, जिससे भूमि सत्यापन की कार्यवाही समयानुसार सम्पादित की जा सके।
4. सम्बन्धित सम्बद्ध संचालित महाविद्यालय (महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम हेतु)।
5. अन्य सम्बन्धित सोसाइटी/ट्रस्ट जो नवीन महाविद्यालय खोलने के इच्छुक हों।
6. प्रभारी बेवसाईट को उक्त आदेश विश्वविद्यालय बेवसाईट पर जारी करने हेतु।

कुलसचिव